अंचल अधिकारी का न्यायालय, सरिया (गिरिडीह)

केश का प्रकार- विविध ई-रा0 न्यायलय वाद सं0- 20 /2020-21

डेगलाल मंडल ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

गणेश मंडल ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 20/10/2020 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद आवेदक डेगलाल मंडल पिता जगदीश मंडल द्वारा आवेदन दिया गया था कि गणेश मंडल पिता स्व0 कांशी मंडल द्वारा उनके निजी चापाकल जो मौजा- नगर केश्वारी थाना नं0 30 के अर्न्तगत खाता सं0 14, प्लॉट सं0 2080 रकवा 3.7 भूमि पर दबंगई एंव बल पूर्वक डेगलाल मंडल पिता जगदीश मंडल के निजी चापाकल में ताता मारने का आरोप में आवेदन दिया गया था :-

आवेदक द्वारा आवेदन के समर्थन में निम्न दस्तावेज संलग्न किया गया था। वाद की प्रकिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के संबंध में कारण पृच्छा की मांग की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज दलील दी गई-

1. केवाला सं0 3195 दिनांक- 09.04.2009 की छाया प्रति
2. निर्गत लगान रसीद वर्ष 2020-21
3. विकेता का केवाला सं0 9718 दिनांक 05.07.196 की छाया प्रति

द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार की दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राजस्व उप निरीक्षक, सरिया ने अपने प्रतिवेदन में बिन्दुवार प्रतिवेदित किया गया है-

1. यह कि आवेदक डेगलाल मंडल पिता जगदीश मंडल से प्राप्त राजस्व दस्तावेजो में केवाला सं0 3195 दिनांक 09.04.2009 प्रस्तुत किया गया है जो उन्हे पूर्व केवाला धारी इश्वर महतो वगै0 द्वारा हासिल है जिसकी जमाबंदी पंजी IV के भो0 सं0 11 पृष्ट सं0 40 पर डेगलाल मंडल के नाम दर्ज है जिसका खाता सं0 14 प्लॉट सं0 2080 रकवा 3.75डी0 है तथा लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष गणेश मंडल पिता स्व0 कांशी मंडल से प्राप्त राजस्व दस्तावेजो में केवाला सं0 12271 दिनांक 23.11.2006 प्रस्तुत किया है जो उन्हे प्रथम पक्ष के पिता जगदीश मंडल द्वारा खतियान से बिक्री की गई है परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि का नामान्तरण नहीं किया गया है।

स्थल जाँच के कम में पाया की डेगलाल मंडल द्वारा निर्मित चापाकल एंव द्वितीय पक्ष के मकान में ताला लगा हुआ है साथ ही उक्त भूमि का मामला न्यायालय में लंबित है।

उभय पक्षों की दलील सुनने, राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन

करने एंव अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन तथा सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि मामला आपसी हक हकियत से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

लेखापित।

20/10/2020

अंचल अधिकारी,
सरिया।

20/10/2020

अंचल अधिकारी,
सरिया।